न्यायालय :—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्राथना पत्र संख्या :— 05/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 07.12.2022
जीसीएमएम नम्बर :— 2022/330

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. गिरिजा देवी भट्ट पत्नि पुखराज भट्ट जाति भट्ट निवासी झूठा गली रायपुर		1.सत्यदेव भट्ट पुत्र पुखराज भट्ट जाति भट्ट जाति भट्ट निवासी रायपुर 2.बिन्दीया पत्नि सत्यदेव भट्ट जाति भट्ट निवासी रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क और ख के अधीन माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित

निर्णय **दिनांकः 06.01.2023**

प्रार्थीया गिरिजा देवी भट्ट पत्नि पुखराज भट्ट जाति भट्ट निवासी झूठा गली रायपुर की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क और ख के अधीन माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया हैं। प्रार्थीया गिरिजादेवी अप्रार्थी संख्या एक की माता है एंव अप्रार्थी संख्या दो की सास है। प्रार्थीया शारिरिक व मानसिक रूप से काफि कमजोर है प्रार्थीया के आय का कोई जरिया नही है प्रार्थीया अक्सर बिमार रहता है। प्रार्थीया के भरण पोषण का कोई जरिया नही है। अप्रार्थीगण का नैतिक व विधिक दायित्व है कि वह अपने वृद्ध माता का भरण पोषण करे या भरण पोषण हेतू राशि अदा करे । किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीया का भरण पोषण नही कर दर–दर की ठोकरे खाने के लिये छोड दिया है। प्रार्थीया के पास अपना भरण पोषण व दवाईयॉ ईलाज व कपडे इत्यादी दैनिक जीवन यापन करने के लिये किसी प्रकार का आय का जरिया नही है। प्रार्थीया के भूखे मरने की नौबत आ गयी है। इसलिये प्रार्थीया को अपने भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जिने हेतू प्रतिमाह 10,000/रू अक्षरे दस हजार रू. अप्रार्थी संख्या एक से दिलाये जावे का आदेश फरमावे। अप्रार्थी संख्या एक के पिता व प्रार्थीया के पति पुखराज जी भट्ट के प्रथम पत्नि से कोई सन्तान नही होने पर प्रार्थीया से सामाजिक रीति रिवाज अनुसार शादी की थी जिससे अप्रार्थी संख्या एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्री है जिसकी शादी कर दी वो ससुराल मे रहती है। प्रार्थीया के पति पुखराज जी राजकीय अध्यापक थे जिनकी मृत्यु होने पर अप्रार्थी संख्या एक की अनुकंपा नियुक्त लगी थी। अनुकंपा नियुक्त इसी आधार पर लगी की अप्रार्थी संख्या एक परिवार के समस्त सदस्यो का भरण पोषण करेगा, उनकी देख रेख करेगा। पुखराज जी की प्रथम पत्नि कमलादेवी की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो गयी ओर पैन्शन भी बन्द हो गयी। इसप्रकार अप्रार्थी संख्या एक वर्तमान मे एल डी सी ग्राम पंचायत बर मे पद पर कार्यरत है ओर प्रतिमाह 36000–40,000 रूपये तनखा (पैमेन्ट) मिलती है। साथ ही अन्य व्यवसाय भी करता है जिससे उसे 20,000/–रू0 प्रतिमाह अलग से आय होती है। प्रार्थीया उपरोक्त पत्ते पर निवास करती है किन्तु किसी प्रकार का आय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

का जरिया नही है । भूखे मरने की नौबत आ गयी है। अप्रार्थी अपने माता प्रार्थीया का भरण पोषण नही कर रहा है । ओर दर दर की ठोकरे खाने के लिये छोड दिया है। काफि परेशानियो का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थी श्रीमति बिन्दीया पुत्रवधु है वो भी अपनी सासुमाता प्रार्थीया का भरण पोषण नही करती है। प्रार्थीया दिन दिन भर कई बार तो तीन चार दिन तक भुखी रहती है किसी प्रकार का खाना नही दिया जाता है अडौस पडौस से मांग कर खाना पडता है ओर प्रार्थीया को उक्त प्रकार अपना पुत्र होते हुये भी मांग कर खाना भारी बैईज्जती महसुस होती है। जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु है। इसलिये मजबूरन अपने भरण पोषण हेतू माननीय न्यायालय मे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण का नैतिक व विधिक दायित्व है कि वो अपने माता का भरण पोषण करने हेतू राशि अदा कर किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अकले एक कमरे मे छोड दिया है। इसलिये प्रार्थीया को अपने भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जिने हेतू प्रतिमाह 10,000/रू अक्षरे दस हजार रू. अप्रार्थी संख्या एक से दिलाये जावे का आदेश फरमावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जिने हेतू प्रतिमाह 10,000/रू अक्षरे दस हजार रू. अप्रार्थी संख्या एक से दिलाये जावे का आदेश फरमावे। तथा अप्रार्थी संख्या एक राजकीय कर्मचारी है जो बतौर एल डी सी ग्राम पंचायत बर मे कार्यरत है। अप्रार्थी संख्या एक के एकाउन्ट से प्रतिमाह 10,000/– अक्षरे दस हजार रू0 प्रार्थीया के एकाउन्ट मे सीधे ही जमा करवाने का उचित आदेश प्रदान करावे इस आशय की तहरीर अप्रार्थी संख्या एक के विभाग मे तथा अप्रार्थी संख्या एक के बैंक मे भिजवा कर प्रार्थीया को भरण पोषण की राशि अदा करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 01 उपस्थित हुआ हैं, जो प्रार्थीया का पुत्र हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने बताया कि मेरा आय का एकमात्र स्त्रोत हैं जिसमें मेरे घर खर्च एवं इत्यादि वस्तुएं की ईएमआई के खर्चे में चली जाती हैं। अतः भरण पोषण की राशि देने में नहीं दे सकता हैं।

प्रार्थीया ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगण संख्या 01 एक राजकीय कर्मचारी हैं मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जीने हेतू प्रतिमाह 10,000/रू अक्षरे दस हजार रू. अप्रार्थी संख्या एक से दिलाये जावे का आदेश करावें।

हमने उभयपक्ष को ध्यानपूर्वक सुना। बहस सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थीया को जरूरत की वस्तुए एवं भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 सत्यदेव भट्ट पुत्र पुखराज भट्ट जाति भट्ट जाति भट्ट निवासी रायपुर से प्रतिमाह की तारीख 01 से 05 तक प्रार्थीया के अकान्ट नम्बर में रूपये 5000 अक्षरे पांच हजार रूपये राशि जमा कराने के आदेश दिया जाना न्यायोजित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थीया को जरूरत की वस्तुए एवं भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 सत्यदेव भट्ट पुत्र पुखराज भट्ट जाति भट्ट जाति भट्ट निवासी रायपुर से प्रतिमाह की तारीख 01 से 05 तक प्रार्थीया के अकान्टर नम्बर 61119742752 (एसबीआई बैंक शाखा रायपुर मारवाड़ के IFSC CODE SBIN0031197) में रूपये 5000 अक्षरे पांच हजार रूपये राशि जमा कराने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि अप्रार्थी संख्या 01, विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर जिला पाली के विभाग में कार्यरत हैं। अतः उक्त आदेश की पालना हेतु संबंधित विभाग एवं संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)